पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केस–12–14 / 2016 :–

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, (स्वर्गीय) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा विरूद्ध मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह के क्षेत्राधीन खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा के अधीन ईचा बांयी मुख्य नहर 4.56 km से 6.03 km तक मिट्टी नहर तल लाईनिंग कार्य तथा कट–कॉभर भाग में बैरल निर्माण कार्य में रू० 44,181 / – के बोगस भुगतान एवं रू० 2.45 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान संबंधी अनियमितता की जाँच एकीकृत बिहार की अवधि (दिसम्बर 1988 से जून 1990) मंत्रिमंडल(नि०) विभाग एवं विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी, जाँचोपरान्त स्व० सिन्हा को उक्त अनियमितता के लिए दोषी पाये जाने के कारण जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 240 दिनांक– 01.02.1994 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा उन्हें (स्व० सिन्हा को) दोषमुक्त माना गया।

2. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। समीक्षोपरान्त जल संसाधन विभाग बिहार, पटना के ज्ञापांक– 888 दिनांक– 31.07.2002 (उनके सेवानिवृति की तिथि भी दिनांक– 31.07.2002 है) द्वारा स्व० सिन्हा को सेवा से बर्खास्त किया गया।

3. स्व० सिन्हा द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही को चुनौती माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. - 9803/1999 द्वारा दी गयी। जिसमें दिनांक– 02.08.2006 को न्याय निर्णय पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्न है :–

> "In this view of the matter, relying on the decision of the Division Bench of this Court in the cast of State of Bihar - versus- Arvind Bijay Bilung & Another (supra) the order as contained in Annexure- 31 to the writ application passed on 31.07.2002 dismissing the petitioner from service is hereby quashed and the matter is being remitted to the Secretary to the Government. Water Resources Department. Government of Jharkhand, to take a fresh decision in the matter in accordance with law.
>
> The State of Bihar at its own or on the request of the State of Jharkhand may forward such materials, which are in its possession against the petitioner for taking action against him and the State of Jharkhand on receipt of such materials from the State of Bihar may pass on appropriate order in accordance with law within a period of six months from the date of receipt /production of a copy of this order.
>
> With this observations and directions, this writ application is disposed of."

4. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा न्यायनिर्णय दिनांक– 02.08.2006 के आलोक में कार्रवाई में विलम्ब के बीच स्व० सिन्हा द्वारा सेवानिवृति देय पावनाओं एवं Notional Promotion के लिए माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के समक्ष WP (S) No- 3944/08 दायर किया गया

5. इसी क्रम में बिहार से अभिलेख प्राप्त होने पर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 2719 दिनांक– 21.10.2008 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम– 43बी के तहत् विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने जाँच में स्व० सिन्हा को दोषी पाया एवं उनके (संचालन पदाधिकारी के) मंतव्य के आलोक में वसूली राशि की गणना विभागीय पत्रांक– 4160 दिनांक– 18.11.2010 के द्वारा मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह से करायी गयी। मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह ने वसूलीय राशि रू० 14438176.26/-- (रूपये एक करोड़ चौवालीस लाख अड़तीस हजार एक सौ छिहत्तर एवं पैसे छब्बीस) मात्र अपने पत्रांक– 1849 दिनांक– 05.10.2012 द्वारा प्रतिवेदन किया।

6. संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में उक्त राशि के वसूली पर विभाग स्तर पर समीक्षा के क्रम में स्व० सिन्हा द्वारा दायर याचिका WP(S) No- 3944/2008 में न्याय निर्णय दिनांक– 11.02.2013 पारित हो गया। उक्त न्याय निर्णय का मुख्य अंश निम्न है :–

> "...12. From the above discussion, it is clear that the proceeding initiated by the State of Jharkhand against the petitioner was contrary to law and therefore, it requires interference by this Court. I further find that no second inquiry is contemplated under Rule 43 of Jharkhand/Bihar Pension Rule and in that view of the matter also the proceeding initiated on 21.10.2008 by the State of Jharkhand is liable to be quashed.
>
> 13. In the result, the writ petition is partly allowed and Resolution No. 2719 dated 21.10.2008 is hereby quashed. No other point has been argued by the counsel for the petitioner and therefore, other prayers of the petitioner have not been considered by this Court.
>
> 14. There shall however, be no order as to costs."

7. स्व० सिन्हा द्वारा उक्त न्याय निर्णय दिनांक– 11.02.2013 (WP(S) No.- 3944/08) में Civil Review No - 48/2013 दायर की गयी। दिनांक– 08.05.2015 को पारित न्यायनिर्णय में वादी को पेंशनादि देय पावनाओं के भुगतान हेतु निदेश दिया गया। उक्त न्यायनिर्णय का मुख्य अंश निम्नवत् है :–

> "... 3 It is noticed that the petitioner was validly appointed and was working under the then Government of Bihar, is an admitted fact. The order of dismissal dated 31.07.2002 was quashed by the Court in C.W.J.C.No. 9803 of 1999 (P) and thereafter, no proceeding was initiated against the petitioner till, he superannuated from service. Thus, it cannot be denied that the petitioner is entitled for grant of pension and other benefits unless, the same has been denied to the petitioner in a disciplinary or judicial proceeding. The proceeding initiated against the petitioner under Rule 43(b) of Jharkhand Pension Rules, after his superannuation, has been quashed

by this Court vide order dated 11.02.2013 in W.P.(S) No. 3944 of 2008. It is thus, apparent that the petitioner is entitled for pensionary and other service benefits. In these fact, it appears that the learned counsel for the petitioner did not press other prayers in the writ petition. Moreover, the prayer/relief which has not been considered nor expressly rejected, cannot be said to have been denied by the Court. After order dated 22.01.2008 under Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules was quashed, the natural consequence thereof would be grant of pension and other benefits to the petitioner.

4. With the above clarification, the present civil review petition stands disposed of. "

8. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय दिनांक– 11.02.2013 को चुनौति LPA No. - 295/2003 द्वारा की गयी। इसमें पारित न्याय निर्णय दिनांक– 03.08.2015 के द्वारा Appeal को infructuous के आधार पर खारिज कर Appellant को पुनः Appeal दायर करने का मौका दिया गया, जिसके आलोक में दायर LPA No. - 525/15 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अरविन्द कुमार सिन्हा को IA No. - 4283/16 एवं IA No. - 4284/2016 सहित में पारित न्याय निर्णय दिनांक– 22.08.2018 के द्वारा खारिज कर दिया गया।

9. वादी स्व० अरविन्द कुमार सिन्हा की मृत्यु दिनांक– 28.12.2015 तथा WP(S) No. - 3944/08 में पारित न्याय निर्णय दिनांक– 11.02.2013 एवं Civil Review No. - 48/2013[in WP(S) No. - 3944 /08 में पारित न्याय निर्णय दिनांक– 08.05.2015 के उपरान्त इसकी चुनौती LPA No. - 525/15 में दिनांक– 22.08.2017 को पारित न्याय निर्णय में खारिज हो जाने के उपरांत उक्त मामले पर परामर्श हेतु संचिका विधि (न्याय) विभाग को भेजा गया। विधि (न्याय) विभाग द्वारा LPA No. - 525/15 का न्याय निर्णय दिनांक– 22.08.2017 के द्वारा खारिज हो जाने के कारण निम्न मंतव्य के साथ WP(S) No. - 3944/08 में दिनांक– 11.02.2013 एवं Civil Review no. - 48/13 में दिनांक– 08.05.2015 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन को निम्न परामर्श के साथ अपेक्षित माना गया है:–

" That it is well settled proposition of law that recovery and deduction from the Pension of account of misconduct or pecuniary loss caused can be made in pursuance of a proceeding under Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rules, therefore, in the instant matter in view of the aforesaid facts, the amount sought to be recovered cannot be adjusted or recovered from the family pension, death cum retrial benefits payable to the concerned employees/legal heir of the deceased retired employees. That in such circumstances when no order of penalty is in existence against the concerned employee and when the said concerned retired employee has already died, the recovery/adjustment of the said amount of Rs. 1,44,38,176.26, in absence of any determination/finding in any legal/statutory proceeding from Pension, Family Pension would not be sustainable in law.

However, for making the recovery of the amount in question, a Civil Suit may be filed seeking relief for appropriate declaration, in which the facts about the mis-appropriation,

embezzlement of the Govt. fund sought to be recovered by the concerned employee Sri Arbind Kumar Sinha (since now dead) would require to be proved and in the said suit consequential relief may be sought for recovery from the assets of the deceased/retired employees and from his legal heirs. "

10. वर्त्तमान स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक– 11.02.2013 एवं दिनांक– 08.05.2015 (Civil Review में पारित न्यायनिर्णय) के अनुपालन के क्रम में स्व० अरविन्द कुमार सिन्हा के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम–43बी के अन्तर्गत संचालित विभागीय कार्यवाही संकल्प सं०– 2719 दिनांक– 21.10.2008 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही श्री सिन्हा को जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत बर्खास्तगी के आदेश ज्ञापांक– 888 दिनांक– 31.07.2002 को निरस्त (आ०ज्ञा०–888 दिनांक– 31.07.2002 CWJC No. - 9803/1999 में दिनांक– 02.08.2006 को पारित न्याय निर्णय द्वारा खारिज होने के कारण) करने के साथ दिनांक– 31.07.2002 के प्रभाव से स्व० सिन्हा को निलंबन मुक्त भी किया जाना अपेक्षित है।

11. अतएव उक्त वर्णित कंडिकाओं के आलोक में विधि (न्याय) विभाग के माध्यम से प्राप्त विद्वान महाधिवक्ता के उपर्युक्त मंतव्य एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा याचिका 3944/2008 में पारित न्याय निर्णय दिनांक– 11.02.2013 एवं Civil Review No. -48/2013 (in WP(S) No. - 3944/2008) में पारित न्याय निर्णय दिनांक– 08.05.2015 के अनुपालन में निम्न आदेश पारित किया जाता है –

(i) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत बर्खास्तगी के आदेश ज्ञापांक–888 दिनांक– 31.07.2002 पेंशन नियमावली के नियम–43बी के अन्तर्गत संचालित विभागीय कार्यवाही संकल्प सं०–2719 दिनांक– 21.10.2008 को निरस्त किया जाता है।

(ii) बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त किये जाने के साथ ही दिनांक– 31.07.2002 के प्रभाव से स्व० अरविन्द कुमार सिन्हा को निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन अवधि (दिनांक– 01.12.1994 से दिनांक– 30.07.2002) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं (न्याय निर्णय में निलंबन अवधि पर कोई observation नहीं होने के कारण) होगा, यद्यपि यह अवधि पेंशनादि में कार्यावधि मानी जायेगी।

(iii) दिनांक– 31.07.2002 को अनुमान्य वेतन के आधार पर स्व० सिन्हा के परिजनों को सेवानिवृति देय पावनाओं पेंशनादि के भुगतान पर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(iv) साथ ही स्व० सिन्हा से वसूलनीय राशि रू० 14438176.26 की प्रमाणिकता के साथ Civil Suit के माध्यम से स्व० सिन्हा तथा इनके Legal heirs के Assets से वसूली हेतु [विधि (न्याय) विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में] मुख्य अभियंता, ईचा गालूडीह के द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

12. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है;

13. इस आदेश की एक प्रति वादी को भी प्राप्त करायी जाय।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....राँची / दिनांक .....

प्रतिलिपि :– प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर–जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह, कम्पलेक्स आदित्यपुर–जमशेदपुर / अधीक्षण अभियंता, खरकई नहर अंचल आदित्यपुर / कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा / श्रीमती धर्मशीला सिन्हा, W/o स्व० अरविन्द कुमार सिन्हा, तत्० कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, चाईबासा, पत्राचार पता– शीला पैलेस फ्लैट नं०–403, ईस्ट पटेल नगर, रोड नं०–11, पो०+थाना– पटेल नगर, जिला–पटना, (बिहार) एवं स्थायी पता– ग्राम–जीवनग्राम, पो०–आनन्दपुर, थाना–करपी, जिला–जहानाबाद (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : .....राँची / दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (ले०एवं हक०) झारखण्ड, राँची / जिला कोषागार, सरायकेला–खरसावाँ, / चाईबासा / विशेष सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 2585 .....राँची / दिनांक 15/06/18

प्रतिलिपि :– श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता, स्टैडिंग कौंसिल (Mines), झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव
15/06/18